<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 138 / 2020 **दायर दिनांकः 09.09.2020**

उनवान

1. नेमीचन्द आयु 60 वर्ष पुत्र श्री उदा लाल जाति धाकड़ निवासी अंचरावां तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थिति :—

वादीगणः—विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

आदेश

दिनाकः 19 / 07 / 2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89,188 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल मेहला तहसील अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबंदी संवत 2036 से 39 में ख0नं0 35 का रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा किस्म बंजड प्रथम कालु पुत्र भोलु जाति धाकड़ निवासी मेहला तहसील अटरू जिला बारां राज. को आवंटन हुई थी। आवंटी कालू पुत्र भोलू ने वादी के पिता उदा पुत्र गेंदया धाकड को 1500 रूपये में बेच कर कब्जा संभला दिया था। तभी से उक्त भूमि पर वादी के पिता उदा का निरंतर कब्जा काश्त आज दिन तक चला आ रहा है। नकल जमाबन्दी संवत 2036 से 2039 एवं 2040 में वादी के पिता का नाम दर्ज चला आ रहा है। उक्त आराजी पुराना खसरा नं. 35 का रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा के नवीन ख0 नं. 29 का रकबा 0.25 है0 बना कर आ[illegible] राज दर्ज कर दी गई है। नकल जमाबंदी संवत 2074 से 2077 वा[illegible] के साथ सं[illegible] है जो काबिल गौर है। खसरा मिलान क्षैत्रफल भी वाद पत्र के साथ संल[illegible] वाद नं. 1 में वर्णित आ[illegible] पर जब तक वादी के पिता जीवित रहे उनका कब्जा काश्त रहा वर्ष 2005 में वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात् से आज दिन तक वादी का निरंतर कब्जा काश्त बदस्तूर चला आ रहा है। जिसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:25:25 IST
Reason: SelfAttested

अंकन खसरा गिरदावरी संवत 2071 से संवत 2077 में काश्त एवं फसल का अंकन वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो रहा है। प्रतिवादी के अधीनस्थ कर्मचारीगण ने गफलत एवं लापरवाही पूर्ण कार्य करते हुए आवंटी कालू पुत्र भोलू के स्थान पर जमाबन्दी 2040 में वादी के पिता उदा पुत्र गेंदया के पक्ष में 1500 रूपये में बेचान का उल्लेख करते हुए संवत 2037 से बदस्तूर कब्जा बता दिया लेकिन उसके पश्चात राजस्व रिकार्ड में ना तो कालू पुत्र भोलू का नाम दर्ज किया ना ही वादी के पिता का नाम दिर्ज किया और वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी को खाता राज दर्ज करके वादी के विरूद्ध धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए नोटिस देकर जुर्माना राशि वसूल करने लग गए । तथा अब प्रतिवादी वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी पर से बेदखल करने पर आमादा है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी को उसके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैरकानूनी तरीके से रोका जाना संभव नही है। यदि प्रतिवादी अपने अवैधानिक एवं गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गया और वादपत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी पर से वादी को बेदखल कर दिया तो वादी को उसके पिता द्वारा खरीद शुदा जमीन से वंचित होना पडेगा। जिससे वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में होना संभव नही होगी। अस्तुवादी वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी नवीन ख0नं0 29 का रकबा 0.25 है0 का खातेदार कृषक घोषित होकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपने नाम खाता दर्ज करा पाने का पूर्ण अधिकारी है। क्योंकि वादी का वाद ग्रस्त आराजी का विगत 40 वर्षो से अधिक समय से निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वाद कारण प्रथम बार संवत 2037 में वादी के पिता द्वारा आराजी खरीद करने एवं उसके पश्चात वादी के विरूद्ध प्रतिवादी द्वारा धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही करके जुर्माना राशि वसूल करने तथा दिनांक 31.08.2020 को प्रतिवादी द्वारा वादी को वादपत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी पर से बेदखल करने की धमकी देने पर अंतिम बार माननीय न्यायालय के सीमा क्षैत्र में उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा प्रतिवादी को धारा 80 सी.पी.सी. का रजिस्टर्ड नोटिस मियादी 2 माह प्रेषित कर दिया गया है लेकिन चूँकि मामला आवश्यक प्रकृति का है। [illegible]टिस की अवधि समाप्त होने की प्रतीक्षा की गई तो प्रतिवादी वादी को वाद के पत्र की मद [illegible] में वर्णित आराजी में से बेदखल कर देगा जिससे वादी का वाद पेश करना ही [illegible] हो जायेगा इसलिए वाद आवश्यक प्रकृति का होने से बिना नोटिस की अवधि समाप्त हुए ही धारा 80 (2) सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ वाद पेश किया जा रहा है। विवादग्रस्त आराजी ग्राम मेहला तहसील अटरू में स्थित होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:25:25 IST
Reason: SelfAttested

एवं पक्षकारान तहसील क्षैत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क 2 रूपये पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में दावा पेश कर वादी निवेदन करता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमाई जावेंः–

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी नवीन ख0नं0 29 का रकबा 0.25 है0 का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी के खाते दर्ज किया जाए। इस हेतु प्रतिवादी को आदेश प्रदान किया जाए।

(ब) प्रतिवादी को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाए कि वह वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी पर से वादी को बेदखल नही करें तथा वादी के शांति पूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना तो स्वयं करें ओर ना ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों से करावें।

(स) वाद व्यय एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई, प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नही करने के कारण जवाब दावा बंद किया गया।

साक्ष्यवादी के तहत् PW_1 , से PW_3 , के बयान लेखबद्ध किये, तथा रिकार्ड EXP करवाया गया। तहसीलदार अटरू से विवादित आराजी के संबंध में मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक 448 दिनांक 22.03.2021 से मौका रिपोर्ट पेश की ग्राम मेहला की आराजी ख0नं0 29 रकबा 0.25 है0 किस्म चाही प्रथम 0.15 है0 तथा जावा द्वितीय 0.10 है0 भूमि सिवायचक/बिलानाम काबिल काश्त खाता सरकार प्रथम दर्ज है। जिस पर वर्तमान में नेमीचन्द पुत्र उदालाल धाकड़ निवासी अचरावा का कब्जा काश्त है। और धारा 91 के तहत नेमीचन्द के विरूद्ध अतिक्रमण रिपोर्ट की जा रही है। अतिकर्मी द्वारा वर्ष 2003 से सम्पूर्ण जुर्माना जमा करवा दिया है। वर्तमान में कोई जुर्माना बकाया नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:25:25 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया कि ग्राम एवं माल मेहला तहसील अटरू की आराजी

नवीन ख0नं0 29 का रकबा 0.25 है0 का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें, तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वादी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी संवत् 2036–39 के तहत ग्राम मेहला में स्थित ख0नं0 35 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा कालू पुत्र भोलू धाकड के नाम दर्ज रिकार्ड थी जिसे कालू धाकड द्वारा रूपये 1500 में वादी के पिता उदा पुत्र गेन्दया धाकड को बेचान कर दिया जिसका उल्लेख खसरा परिवर्तनशील संवत 2040 में अंकित टिप्पणी से स्पष्ट है।

तहसीलदार अटरू प्रतिवादी ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.03.2021 में स्वीकार किया है कि उक्त विवादित आराजी पर लम्बे समय से वादी ही कब्जा काश्त कर रहा है और धारा 91 के तहत पूरा जुर्माना समय–समय पर जमा कराता रहा है। साक्ष्यवादी pw 1से pw3 में भी अपने ब्यानों में माना है कि उक्त भूमि वादी के पिता द्वारा 1500 रूपये में संवत् 2036 में क्रय की गई थी और तभी से वादी के पिता व तदुपरांत वादी का कब्जा काश्त रहा है। भू प्रबंध विभाग के मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 2 से स्पष्ट है कि पुराने खसरे नं0 35 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा का नवीन ख0नं0 29 रकबा 0.25 है0 बना है जिसे फिर प्रतिवादी के नाम दर्ज रिकार्ड कर दिया गया। भू–प्रबंध विभाग को किसी रिकार्डेड खातेदार के खातेदारी अधिकारों को छीन कर प्रतिवादीगण के दर्ज रिकार्ड करने का कोई अधिकार नही है। विवादित आराजी पर कानूनन रूप से वादी के पिता का हक और अधिकार था, जिसकी मृत्यु के बाद अब वादी का अधिकार है।

उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम मेहला के नवीन ख0नं0 29 रकबा 0.25 है0 (यानि चाही द्वितीय 0.15 है0, जावा 2 की 0.10 है0) कुल 0.25 है0 भूमि का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19[illegible] को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:25:25 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 138/2020 **दायर दिनांकः 09.09.2020**

उनवान

1. नेमीचन्द आयु 60 वर्ष पुत्र श्री उदा लाल जाति धाकड़ निवासी अंचरावां तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :–

वादीगणः–विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम मेहला के नवीन ख0नं0 29 रकबा 0.25 है0 (यानि चाही द्वितीय 0.15 है0, जावा 2 की 0.10 है0) कुल 0.25 है0 भूमि का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X.............. बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X......................... ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 19.07.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:25:25 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)